



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 अप्रैल 2015—चैत्र 11, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्र. एफ ए-3-13-2015-1-पांच (20).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-41-2009-1-पांच (35), दिनांक 27 जनवरी, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (2) में,—

- (एक) अनुक्रमांक 1 तथा 2 के सामने, शब्द और अंक “रुपए 20/- प्रति घन मीटर” के स्थान पर, शब्द और अंक “रुपए 35/- प्रति घन मीटर” स्थापित किए जाएं।
- (दो) अनुक्रमांक 3 के सामने, शब्द और अंक “रुपए 1/- प्रति वर्ग फीट” के स्थान पर, अंक और शब्द “2 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग फीट” स्थापित किए जाएं।
- (तीन) अनुक्रमांक 4 तथा 5 के सामने, अंक और शब्द “50 पैसे प्रति वर्ग फीट” के स्थान पर, अंक और शब्द “1 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग फीट” स्थापित किए जाएं।
- (चार) अनुक्रमांक 6 के सामने, अंक और शब्द “50 पैसे प्रति वर्ग फीट” के स्थान पर, अंक और शब्द “1 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग फीट” स्थापित किए जाएं।
- (पांच) अनुक्रमांक 7 तथा 8 के सामने, अंक और शब्द “25 पैसे प्रति वर्ग फीट” के स्थान पर, अंक और शब्द “75 पैसे प्रति वर्ग फीट” स्थापित किए जाएं।

2. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्र. एफ ए-3-13-2015-1-पांच (20).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-13-2015-1-पांच (20), दिनांक 1 अप्रैल 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 1st April 2015

No. F. A-3-13-2015-1-V (20).—In exercise of the powers conferred by Section 9-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F-A-3-41-2009-1-V (35), dated 27th January 2010, namely :—

AMENDMENTS

1. In the said notification, in the table, in column (2),—

- (i) Against serial numbers 1 and 2, for the words and figure “Rupees 20/- per Cubic Metre”, the words and figure “Rupees 35/- per Cubic Metre” shall be substituted.
- (ii) Against serial number 3, for the word and figure “Rupees 1/- per square feet”, the words and figures “Rupees 2 and paise 50 per square feet” shall be substituted.
- (iii) Against serial numbers 4 and 5, for the words and figure “Paise 50 per square feet”, the words and figures “Rupees 1 and paise 50 per square feet” shall be substituted.
- (iv) Against serial number 6, for the figure and words “50 paise per square feet”, the words and figures “Rupees 1 and paise 50 per square feet” shall be substituted.
- (v) Against serial numbers 7 and 8, for the figure and words “25 paise per square feet”, the words and figures “Paise 75 per square feet” shall be substituted.

2. This amendment shall be deemed to have come into force from 1st April, 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.